न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 117/24 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2024/467

उनवान

1. कविता पत्नी देवराज जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी 3 विनायक सेक्टर 4 उदयपुर हाल बैगलोर कर्नाटक
2. नेहा जैन पत्नी अतुल जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी 3 विनायक सेक्टर 4 उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)
3. हंसा जैन पत्नी स्व० आनन्दीलाल जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी 3 विनायक सेक्टर 4 उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) जरिए जनरल पॉवर ऑफ एर्टोनी ग्रहिता अतुल जैन पिता स्व० आनन्दीलाल जी जाति जैन, उम्र वयस्क, निवासी 3 विनायक सेक्टर 4 उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०) .....प्रार्थीगण

बनाम

1. डिम्पल कुंवर पुत्री धनकुंवर जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. तख्तसिंह पुत्र एमानसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मेता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. देवीसिंह पुत्र एमानसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. निहाल कंवर पत्नी एमानसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) मृतक
5. नीतु कुंवर पुत्री धनकुंवर जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मेता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. भंवरसिंह पुत्र एमानसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. भानुप्रतापसिंह पुत्र धनकुंवर जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मेता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. शंकरसिंह उर्फ शक्तिसिंह पुत्र धनकुंवर जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. मनोहरसिंह पुत्र डुंगरसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

9/1 श्री हरिसिंह पिता मनोहरसिंह झाला निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।

9/2 श्री सज्जनसिंह पिता मनोहरसिंह झाला निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।

9/3 नवल कुंवर पिता मनोहरसिंह झाला निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।

9/4 निलम कुंवर पिता मनोहरसिंह झाला निवासी बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर।

10. तेजसिंह पिता मानसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
11. धापुकुंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता. तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
12. प्रेमकुंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
13. समन्दकुंवर पुत्री मानसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
14. सोहनकुंवर पत्नी मानसिंह जाति राजपूत, उम्र वयस्क, निवासी धर्मता, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:41 IST
Reason: SelfAttested

15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3, 6 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 13.02.2026

1. प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा धर्मेता, पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1693/1258 रकबा 0.7365 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में मुझ प्रार्थीगण के नाम स्वतन्त्र खातेदारी अधिकार से दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ौस में विपक्षीगण की भूमि स्थिति है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य रोज सरहद को लेकर विवाद होता रहता है। इसलिए मुझ प्रार्थीगण की कृषि भूमि का सीमांकन कर चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगड़ी कराया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य में हमारी भूमि की सीमा को लेकर विपक्षीगण से किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नही हो। अंत में निवेदन किया कि हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर इस आशय का आदेश फरमाया जावें कि उक्त वर्णित हम प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमियों की चारों (सभी) दिशाओ की सीमा की पत्थरगढ़ी कराई जाकर स्थायी सीमाकंन कराया जावें तथा हम प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 14 का अवैध कब्जा एवं निर्माण पाया जावें तो हमारी कृषि भूमि से विपक्षी संख्या 1 से 14 के खर्चे से इनका अवैध कब्जा एवं निर्माण हटवाया जाकर हमारी कृषि भूमि का कब्जा हम प्रार्थीगण को सुपुर्द किये जाने हेतु आदेशित किया जावें। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3, 6 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त वर्णित आराजीयात की कृषि भुमि मौजा धर्मता, पटवार हल्का बोयणा, तह० मावली, जिला उदयपुर में स्थित होना स्वीकार हैं। लेकिन इस कलम में वर्णित आराजी का जो रकबा हैं वो राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में अधिक दर्ज किया गया हैं तथा उक्त आराजी की भुमि में जो रकबा अधिक दर्ज किया गया हैं वो रकबा विपक्षी संख्या 2 से 6 तक के खातेदारी की आराजी नम्बर 1259, 1260, 1263, 1261, 1262 से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा भु प्रबन्धन के दौरान कम किया गया जबकि सेटलमेन्ट कर्मचारियों व अधिकारियों को विपक्षी संख्या 2 से 6 तक की आराजी नम्बर 1259, 1260, 1263, 1261, 1262 से रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं था चुंकि सेटलमेन्ट से पूर्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 18:38:41 IST
Reason: SelfAttested

मावली तहसील में भुमि नापने की ईकाई 152 जरीब की थी तथा उसके बाद 132 की जरीब कर दी गई थी इसलिये विपक्षी की उक्त आराजी की भुमि में 152 की जरीब के अनुसार सेटलमेन्ट के बाद बने उक्त नए नम्बरों का रकबा दर्ज करना चाहिए था जो नहीं किया गया जिसके लिये विपक्षी संख्या 2 से 6 की ओर से आप न्यायालय में 2016 में घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया था तथा माननीय न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में दिनांक 20.07.2018 को आराजी नम्बर 1259, 1260, 1261, 1262, 1263 कुल किता 05 एवं आराजी नम्बर 1253, 1254, 1255, 1266, 1267 पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमा रखी हैं तथा नियमित वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं प्रार्थना पत्र के मुकदमा नम्बर 100/2018 प्रार्थना पत्र एवं वाद का मुकदमा नम्बर 10/2016 वाद हैं तथा उक्त प्रार्थना पत्र एवं जवाब दावें में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में नियमित वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसकी जानकारी प्रार्थीया या उनके पूर्व हिताधिकारी को पूर्ण रूप से हैं लेकिन जानबुझकर उक्त प्रकरण को छुपाकर उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में पेश किया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में नियमित वाद विचाराधीन हैं तो उक्त प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही की श्रेणी में आती हैं इस वजह से उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर निरस्तनीय हैं। उक्त वर्णित अनुसार सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से सेटलमेन्ट के दौरान विपक्षी संख्या 2 से 6 की खातेदारी की आराजी का रकबा कम दर्ज किया गया हैं, जिस कारण से विपक्षीगण की ओर से आप न्यायालय में घोषणा व निषेधाज्ञा का नियमित वाद प्रस्तुत कर रखा हैं। चूंकि विपक्षी की उक्त जवाब दावें में वर्णित आराजीयात का रकबा कम दर्ज किया गया जिसका नियमित वाद आप न्यायालय में विपक्षी संख्या 2 से 6 की ओर से पेश किया गया हैं जो विचाराधीन हैं इसलिये जब तक नियमित वाद का निर्णय नहीं हो जाता हैं तब तक उक्त प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर निरस्तनीय हैं।

3. विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा धर्मेता पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 128 पर दर्ज आराजी नम्बर 1693/1258 रकबा 0.7365 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थीगण उक्त भूमि का खातेदार काश्तकार है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी अनुसार उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पैमाइश करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। यह प्रकरण कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Reason:
Date: 2026.03.12 13:38:41 IST
Reason: SelfAttested

प्राप्त करने एवं घोषणा से संबंधी नही है। केवल मात्र प्रार्थी के नाम दर्ज भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जानी है। उक्त भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य सीमा संबंधी विवाद नही रहेगा। विपक्षीगण का कथन है कि उनकी भूमि का रकबा सेटलमेंट के दौरान कम दर्ज कर दिया गया जिसका नियमित वाद विचाराधीन है। जिसमें स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर रखी है। न्यायालय का इस संबंध में विनम्र अभिमत है कि विपक्षीगण द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह उनकी भूमि है। जबकि प्रकरण में प्रार्थीगण अपनी स्वयं की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण जिस भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। उस भूमि पर न्यायालय द्वारा स्थगन भी नही दे रखा है। ऐसे में प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगड़ी करवाने बाबत प्रार्थना पत्र को रोका जाना उचित नही है। सीमा संबंधी विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

: : <u>आदेश</u> : :

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा धर्मेता पटवार हल्का बोयणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 128 पर दर्ज आराजी नम्बर 1693/1258 रकबा 0.7365 हैक्टेयर भूमि का पुख्ता सीमांकन किया जाकर चारो दिशाओं में पत्थरगड़ी की जावे। पत्थरगड़ी करने से पूर्व प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। यथासंभव पत्थरगडी प्रार्थीगण, विपक्षीगण/ पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगडी की जानी है। उक्त आदेश केवल मात्र पत्थरगड़ी किये जाने का दिया गया है। उक्त निर्णय के संदर्भ में एक दूसरे को कब्जे से बेदखल करने का प्रयास नही करें। उभय पक्षो का पत्थरगड़ी करने के पश्चात कब्जे संबंधी मौके पर विवाद पाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। फीस कमिश्नर प्रार्थीगण मौके पर अदा करें।
5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.03.12 13:38:41 IST
Reason: SelfAttested